कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1675 दिनांक 03.08.2026 एवं पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा श्रीमती रिचा कुमारी, विद्यालय अध्यापक-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में श्रीमती रिचा कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया,जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह कथन स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः श्रीमती रिचा कुमारी, को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

ज्ञापांकः-2056 हाजीपुर दिनांकः-07/09/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम- श्रीमती रिचा कुमारी,

(ii). पद नाम- विद्यालय अध्यापक-सह- प्रभारी प्रधानाध्यापक

(iii). जन्म तिथि-

(iv). सेवानिवृति तिथि-

(v). सेवा संवर्ग का नाम- विद्यालय अध्यापक

(vi). पद समूह एवं विभाग- विद्यालय अध्यापक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर-

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन- 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली।

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/9/26

भाग द्वितीय

अवचार-कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1675 दिनांक 03.08.2026 एवं पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा श्रीमती रिचा कुमारी, विद्यालय अध्यापक -सह- प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

7.9.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/9/26

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।. बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1675 दिनांक 03.08.2026 एवं पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा श्रीमती रिचा कुमारी, विद्यालय अध्यापक –सह– प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

7.9.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, कार्यालय पत्रांक 1675 दिनांक 03.08.2026 एवं पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026	5

7.9.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती प्रमिला देवी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में **श्रीमती प्रमिला देवी** द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया, जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्टया विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः **श्रीमती प्रमिला देवी**, को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9.25
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

ज्ञापांकः-......2058..... हाजीपुर दिनांकः-..07/09/26.......

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9.25
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम- श्रीमती प्रमिला देवी,

(ii). पद नाम- विशिष्ट शिक्षक

(iii). जन्म तिथि-

(iv). सेवानिवृति तिथि-

(v). सेवा संवर्ग का नाम- विशिष्ट शिक्षक

(vi). पद समूह एवं विभाग- विशिष्ट शिक्षक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर-

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन- 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/9/26

भाग द्वितीय

अवचार-कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती प्रमिला देवी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती प्रमिला देवी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026	5

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्री राजा कुमार,** विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में **श्री राजा कुमार** द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया, जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्टया विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः **श्री राजा कुमार,** को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

ज्ञापांकः–.........2061/..... हाजीपुर दिनांकः–.......07/09/26

प्रतिलिपिः–सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम- श्री राजा कुमार,

(ii). पद नाम- विद्यालय अध्यापक

(iii). जन्म तिथि-

(iv). सेवानिवृति तिथि-

(v). सेवा संवर्ग का नाम- विद्यालय अध्यापक

(vi). पद समूह एवं विभाग- विद्यालय अध्यापक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर-

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन- 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली।

7-9-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

भाग द्वितीय

अवचार-कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्री राजा कुमार,** विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगवाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी

वैशाली।

07/9/26

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्री राजा कुमार**, विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।

07/9/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026	5

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी

वैशाली।

07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती अंजली कुमारी**, विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में **श्रीमती अंजली कुमारी** द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया, जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्टया विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः **श्रीमती अंजली कुमारी**, को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/09/26

ज्ञापांकः-......2060......... हाजीपुर दिनांकः-.....07/09/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/09/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम- श्रीमती अंजली कुमारी,

(ii). पद नाम- विद्यालय अध्यापक

(iii). जन्म तिथि-

(iv). सेवानिवृति तिथि-

(v). सेवा संवर्ग का नाम- विद्यालय अध्यापक

(vi). पद समूह एवं विभाग- विद्यालय अध्यापक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर-

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन- 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली।

7.9.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली
07/9/26

भाग द्वितीय

अवचार-कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती अंजली कुमारी**, विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगवाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती अंजली कुमारी**, विद्यालय अध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026	5

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **कुमारी ममता मधुकर**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में **कुमारी ममता मधुकर** द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया, जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः **कुमारी ममता मधुकर**, को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

ज्ञापांकः-....2059.... हाजीपुर दिनांकः-....07/09/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

<u>आरोप पत्र</u>

<u>भाग प्रथम</u>

(i). कर्मचारी का नाम- कुमारी ममता मधुकर,

(ii). पद नाम- विशिष्ट शिक्षक

(iii). जन्म तिथि-

(iv). सेवानिवृति तिथि-

(v). सेवा संवर्ग का नाम- विशिष्ट शिक्षक

(vi). पद समूह एवं विभाग- विशिष्ट शिक्षक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर-

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन- 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली।

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/9/26

<u>भाग द्वितीय</u>

अवचार-कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **कुमारी ममता मधुकर**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगवाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **कुमारी ममता मधुकर**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगावाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, पत्रांक 1966 दिनांक 27. 08.2026	5

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड-लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती रंजना कुमारी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त के आलोक में **श्रीमती रंजना कुमारी** द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने बचाव करते हुए यह उल्लेख किया कि घटना के दिन छात्र अंतिम बेंच पर सो रहा था, जिसके कारण विद्यालय बंद करते समय रसोइया का ध्यान उसपर नहीं गया और अनजाने में ताला लग गया, जबकि विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी। यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय में कक्षा के दौरान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यदि कक्षा में पूरी निष्ठा से पढ़ाई हो रही होती तो एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया जाता तो कोई भी छात्र अंतिम बेंच पर सोता हुआ नहीं छूटता। यह कृत्य प्रथम दृष्टया विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः **श्रीमती रंजना कुमारी**, को बच्चों की सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील मामले में प्रदर्शित लापरवाही के आरोप में 'बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

ज्ञापांकः-.......2057........ हाजीपुर दिनांकः-......07/09/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्रीमती रंजना कुमारी,

(ii). पद नाम– विशिष्ट शिक्षक

(iii). जन्म तिथि–

(iv). सेवानिवृति तिथि–

(v). सेवा संवर्ग का नाम– विशिष्ट शिक्षक

(vi). पद समूह एवं विभाग– विशिष्ट शिक्षक/शिक्षा विभाग

(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–

(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली।

7.9.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

07/9/26

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती रंजना कुमारी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगवाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी

वैशाली।

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआ बसंत, प्रखंड–लालगंज, वैशाली में शुक्रवार को छुट्टी के समय वर्ग 05 का छात्र प्रिंस राज कक्षा में ही सोया रह गया और रसोइया द्वारा बिना देखे कमरे में ताला मार दिया गया एवं विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं रसोईया अपने घर चली गई तथा इस घटना की खबर किसी भी स्तर से जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। बच्चों की सुरक्षा में हुई इस गंभीर लापरवाही के लिए कार्यालय पत्रांक 1966 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा **श्रीमती रंजना कुमारी**, विशिष्ट शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ii). विद्यालय में ताला लगाने की जवाबदेही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पदस्थापित शिक्षकों की थी, परंतु इसके ठीक विपरीत रसोईया से विद्यालय में ताला लगवाया गया तथा इस घटना की खबर जिला कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षकों के द्वारा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करते हुए विभाग को गुमराह किया गया तथा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई। यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii).सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, विभाग को गुमराह करना, विभाग की छवि धूमिल करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12.07.2026 को प्रकाशित खबर तथा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक 29.07.2026, पत्रांक 1966 दिनांक 27. 08.2026	5

जिला शिक्षा पदाधिकारी

वैशाली।